

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/मू.अ./2024/ 1356

दिनांक 30/05/24

अनवान :-

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
हनुमानराम वगैरा	बनाम	अर्जुनसिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी वावत ।


राजस्व आवेदन सं.50/2024

दिनांक : 30.05.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र ढोक के मौजा घोनिया के खेत खसरा सं. 166 रकबा: 14.1073 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/मू.अ./2024/ 1357 to 1360

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 30/05/24

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी हनुमानराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण अर्जुनसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/मेडवा

